म0प्र0राज्य सूचना आयोग, भोपाल

<u>अपील क्रमांक ए–24 / रासूआ / 23–3 / बालाघाट / 2006</u>

श्री राजेन्द्र हीरावत, **अपीलकर्ता**
वार्ड क्रं. 14, गंज चौक,
पो0 कटंगी,
जिला–बालाघाट(म0प्र0)

<u>विरूद्ध</u>

1. लोक सूचना अधिकारी एवं
   मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पंचायत कार्यालय,
   पो0 कटंगी, जिला–बालाघाट (म0प्र0)

2. अपीलीय अधिकारी एवं उप संचालक,
   नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
   जबलपुर (म0प्र0)

आदेश

(दिनॉक 21 मार्च, 2006)

यह अपील श्री राजेन्द्र हीरावत (अपीलकर्ता) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर से आदेश का पालन न किये जाने के संबंध में प्रस्तुत की है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने कुछ विषयों में जानकारी लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कटंगी, जिला–बालाघाट से मांगने के लिए आवेदन पत्र दिया था। यह जानकारी न प्राप्त होने की स्थिति में अपीलकर्ता ने एक अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास के समक्ष प्रस्तुत की थी, अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेशित किये जाने के बाद उन्हें मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कटंगी से सभी जानकारी प्राप्त हो गयी है, लेकिन श्री लक्ष्मण आशाराम बड़वाईक को जो दिनॉक 30.03.2000 को अतिक्रमण हटाने की जो सूचना दी गयी थी, उसकी प्रति नहीं प्राप्त हुई।

2. लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि यह प्रकरण बहुत पुराना है और इस संबंध में एक प्रकरण न्यायालय, बालाघाट में भी चल रहा है, इस अभिलेख को खोजा गया, लेकिन कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए जैसे ही उपलब्ध होगा, वह अपीलकर्ता को प्रदान किया जाएगा।

3. इस प्रकरण को मौखिक सुनवाई के लिए दिनॉक 10.03.2006 को जबलपुर में रखा गया था, सुनवाई के समय अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए हैं, यद्यपि उनको उपस्थित होने के लिए दिनॉक 27.02.2006 को सूचना पत्र प्रसारित किया गया था। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कटंगी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर सुनवाई के समय उपस्थित हुए थे और उन्हें सुना गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने मौखिक सुनवाई के समय यह बताया है कि यह अभिलेख पुराना है और इसको खोजने की कार्यवाही चल रही है, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्होंने उन सभी अभिलेखों की सूची दिखायी जिनमें अतिक्रमण हटाने के नोटिस मार्च–2000 में जारी किये गये थे। श्री लक्ष्मणराव आशाराम बड़वाईक से पहले के और बाद के जो अतिक्रमण के संबंध में नोटिस जारी किये गये थे, वह सभी नोटिस रिकार्ड में उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी व मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने यह भी बताया है कि इस विषय से संबंधित एक प्रकरण न्यायालय, बालाघाट में चल रहा है, यह हो सकता है कि नोटिस की प्रति उस प्रकरण में उपलब्ध हो। मुख्य नगर पालिका अधिकारी न्यायालयीन प्रकरण का न्यायालय की अनुमति लेकर अवलोकन कर यह सुनिश्चित करें कि नोटिस की प्रति उस प्रकरण में उपलब्ध है अथवा नहीं । यदि नोटिस की प्रति उपलब्ध हो तो उसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त करके अपीलकर्ता को प्रदान कर दें। यदि वह उपलब्ध नहीं है, तो लोक सूचना अधिकारी यह देखे लेवे कि उनके कार्यालय में कोई अन्य रिकार्ड जो इस अतिक्रमण से संबंधित हो, यदि वह उपलब्ध हो तो उसकी प्रति अपीलकर्ता को देवें।

यहां, यह कहना भी आवश्यक है कि कार्यालयीन रिकार्ड को रखने के संबंध में आवश्यक उचित व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह अवधारणा है कि नगर निकायों में रिकार्ड रखने के संबंध में नियम राज्य शासन/संबंधित नगर निकायों द्वारा बनाये गये होंगे। यदि बनाये गये हों तो उनका पालन किया जावे, और यदि नहीं बनाये गये हों तो उनका पालन कराने की कार्यवाही की जाये।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त

21 मार्च, 2006